सप्तदश

बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 20 फाल्गुन, 1946 (श०)
11 मार्च, 2025 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1)	शिक्षा विभाग	-	-	02
(2)	समाज कल्याण विभाग	-	-	01
			कुल योग --	03

सरकारी योजनाओं का लाभ

7. श्री अरूण शंकर प्रसाद (खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''उदासीनता 22.5 लाख बच्चों का नहीं बना आधार'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2024-25 में वर्ग एक से बारहवीं तक के एक करोड़ 80 लाख बच्चों का नामांकन हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि करीब एक करोड़ 58 लाख बच्चों का आधार नम्बर के साथ सरकारी विद्यालयों में नामांकन हुआ है तथा 22 लाख 50 हजार बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन सका है जिस कारण इन बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त बच्चों का आधार कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कर्मचारियों की बहाली

8. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (आरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 दिसम्बर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''बिहार में बंदी के कगार पर भाषाई अकादमियां'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी मैथिली अकादमी, मगही अकादमी, भोजपुरी अकादमी, संस्कृत अकादमी सहित अन्य अकादमी में पाँच वर्षों से योजना मद में राशि नहीं मिलने से सभी अकादमी में प्रकाशन बंद है तथा इन अकादमी में सृजित पद के विरुद्ध बहुत कम कर्मचारी पदस्थापित है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित अकादमियों को बंदी से बचाने हेतु कबतक अनुदान देने और कर्मचारियों की बहाली करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नैक की मान्यता देना

9. श्री मुकेश कुमार यादव (बाजपट्टी)--दिनांक 25 जनवरी, 2025 को समाचार-पत्र में छपी खबर शीर्षक ''नैक पोर्टल नहीं खुलने से कॉलेजों को मान्यता मिलने पर ग्रहण'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में अबतक मात्र 86 सरकारी और निजी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को नेशनल असेसमेन्ट एंड एक्रेडिएशन कॉउंसिल (नैक) की मान्यता मिली है, जिसमें राज्य के परम्परागत 13 में सिर्फ दो पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला दरभंगा विश्वविद्यालय शामिल है, जुलाई, 2024 से नैक का पोर्टल नहीं खुलने से राज्य के विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों एवं अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों को नैक की मान्यता नहीं मिल पा रही है, जबकि स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड सहित कई अन्य योजनाओं के लिये नैक की मान्यता अनिवार्य है, यदि हाँ, तो सरकार इस कठिनाई को दूर कर कबतक गरीब छात्रों की मदद करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 11 मार्च, 2025 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 87(एल0ए0), 2024-25-डी0टी0पी0-550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025